

16/23

उपरोक्त पेशाबंदी वकालत पत्रिका के अनुपस्थित  
 न्यायालय से नये पत्रिका-संख्या एवं तीन  
 पत्रिका आवरण बुक करने पर भी कोई  
 उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त को कालांतर  
 किमा। तलवी पेश करने हेतु वकालत वकील को  
 पत्रिका आवरण व नये दि. 19.9.22 को उपरोक्त  
 आवरण के वाद भी आवरण पत्रिका पर  
 तलवी नोटिस पेश नहीं किया गया है। अतः  
 न्यायालय आदेश-9 नमूना 3 व 5 की प्रतीति  
 के वाद स्वयंसेवक के तलवी उद्योग सम्मोह  
 अतः वाद वकील स्वयंसेवक किमा जा रहा है।  
 उपरोक्त पत्रिका सुपार हीवर वाद वकालत  
 वकालत वकालत वकालत है।

उपखण्ड अधिकारी  
 झालावाड़